न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 359 /24

प्रार्थी :–

घमण्डाराम पुत्र फूसाराम जाति राईका
निवासी कंवरियाट तहसील रियांबडी जिला नागौर (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कालूराम पुत्र सांवताराम
2. बाबूदेवी पत्नि श्री सांवताराम
3. मेहराम पुत्र सांवताराम
4. रामस्वरूप पुत्र सांवताराम
5. सोहनराम पुत्र सांवताराम
6. आदु पुत्र उगमा
7. मेघा पुत्र उगमा
8. कंवराई पत्नि मेघाराम
9. घेवरीदेवी पत्नि निम्बाराम
10. मीरगादेवी देवासी पुत्री निम्बाराम
11. मोरकी पुत्री निम्बाराम
12. नाथूराम पुत्र बाघा
13. मंशीराम पुत्र बाघा
    जातियान राईका निवासीगण कंवरियाट
    तहसील रियांबडी जिला नागौर
14. श्रीमानजी तहसीलदार साहब, रियांबडी
15. पटवारी पटवार हल्का,जडाउ कंला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

आदेश

दिनांक :–24.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का साराश इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है व इनकी मौजा ग्राम कंवरियाट के खसरा नम्बर 53 रकबा 1.59 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 72 रकबा 4.60 हैक्टेयर कुल रकबा 8.97 हैक्टेयर भूमि पैतक सह खातेदारी की भूमि है । सिका बंटवाडा किया जावे व बंटवाडा होने तक भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने बाबत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट मे पेश किया । जिसमे प्रार्थी को दिनांक 17.05.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व दिनांक 12.07.2024 को अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने व न्यायालय मे हाजिर होने के लिए तारीख नियत की गई । जिस पर अप्रार्थीगण ने न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता के जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त जमीन प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की जमीन है । जिस पर माफिक बंट के काशत व काबिज चले आ रहे है व उक्त जमीन सह खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । क्योंकि अप्रार्थीगण अपने हिस्से का उपयोग व उपभोग लेने व किसी भी तरह से हस्तान्तरण करने के लिए कानूनी रूप से स्वतन्त्र है । इसलिए प्रार्थी के हक मे जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे ।

पत्रावली पेश हुई व वकुलाई की बहस सुनी गई ,जिसमे वकील वादी ने बंटवाडा होने तक व वाद के विचाराधीन रहने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया व अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस मे कहा कि भूमि पैतृक सह खातेदारी की भूमि है व सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त व काबिज चले आ रहे है व किसी रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । इसप्रकार दोनो पक्षो की बहस सुनी गई व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिससे ताईद होता है कि विवादित आराजी पैतृक सह खातेदारी की भूमि है । जिस बाबत प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच मे किसी प्रकार का विवाद नही है परन्तु भूमि वर्तमान मे सह खातदोरी की भूमि है । इसलिए किसी सह खातेदार जो रेर्कोर्डेड खातेदार है । इसप्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर ,अप्रार्थीगण के पक्ष मे है व अपुर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को हो रही है । इसलिए यह तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष मे तय किये जाते है । किसी रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 17.05.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर